Details of Registered Cases

*** 14/15/233 Rao CHIRANJEEV (Rewari): Will the Home Minister be pleased to state:-**

a) the details of cases of murder, rape, kidnapping, dacoity, ransom, extortion, mob lynching and riots registered in the State during the last 8 years ;
b) whether the law and order has been deteriorated during the last 8 years in the State; and
c) if so, the steps taken by the government to improve the law and order in the State?

Reply: **SHRI ANIL VIJ, HOME MINISTER, HARYANA**

Sir, a statement is placed on the table of the House.

a) Details of the cases (heads|sections) during the last 8 years is as under:

Crime Heads	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 (upto 15.02.23)**
Murder (302 IPC)	1,002	1,057	1,046	1,104	1,137	1,143	1,112	1,007	106
Rape (376-376E IPC)	1,070	1,187	1,099	1,296	1,480	1,373	1,716	1,968	198
POCSO (sec 4 & 6)	224	532	656	1,068	1,174	1,101	1,293	1,358	110
Kidnapping for Ransom (364A IPC)	19	30	16	15	18	23	25	27	1
Kidnapping (363-364,365-369 IPC)	3,501	3,902	4,385	5,000	4,005	2,926	3,529	3,953	447
Dacoity (395/396/397 IPC)	201	177	196	194	153	151	156	105	11
Extortion & blackmail (384-389 IPC)	317	320	320	323	354	306	361	431	40
Mob Lynching	There is no separate law for mob lynching in Haryana. All cases of murder are registered under 302 IPC.								
Riots (147-151 IPC)	1,875	2,844	2,408	2,683	2,268	2,467	2,253	1,843	269

Note: Statistics for 2014-2021 has been extracted from annual reports sent to National Crime Records Bureau for compilation of Crime in India. CCTNS data has been used for the year 2022 and 2023.

b) No, Sir

c) The Government has maintained a robust law and order situation in the state by ensuring strategic police presence, responding to distress calls quickly, setting up special units such as Cyber Police Stations, STF and Haryana State Narcotic Control Bureau, making use of technology such as cyber forensics and CCTV, strengthening the police force by recruiting more personnel and providing them with better training and equipment, conducting targeted operations against anti-social elements and taking tough action permissible by law against criminals to send a message that lawlessness will not be tolerated.

पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या

***14/15/233 राव चिरंजीव (रेवाड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**

(क) विगत 8 वर्षों के दौरान राज्य में दर्ज हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, फिरौती, जबरन वसूली, मॉब-लिंचिंग और दंगों के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत 8 वर्षों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर : श्री अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा।

महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) विगत 8 वर्षों के दौरान राज्य में दर्ज मामलों का विवरण-

अपराध शीर्षक	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (upto 15.02.23)
हत्या (302 आईपीसी)	1,002	1,057	1,046	1,104	1,137	1,143	1,112	1,007	106
बलात्कार (376-376 ई आईपीसी)	1,070	1,187	1,099	1,296	1,480	1,373	1,716	1,968	198
पोक्सो (4&6)	224	532	656	1,068	1,174	1,101	1,293	1,358	110
फिरौती के लिए अपहरण (364ए आईपीसी)	19	30	16	15	18	23	25	27	1
अपहरण (363-364, 365-369 आईपीसी)	3,501	3,902	4,385	5,000	4,005	2,926	3,529	3,953	447
डकैती (395/396/397 आईपीसी)	201	177	196	194	153	151	156	105	11
जबरन वसूली और ब्लैकमेल (384-389 आईपीसी)	317	320	320	323	354	306	361	431	40
मॉब लिंचिंग	हरियाणा में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। हत्या के सभी मामले आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज हैं।								
दंगे (147-151 आईपीसी)	1,875	2,844	2,408	2,683	2,268	2,467	2,253	1,843	269

नोट- भारत में अपराध के संकलन के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट से 2014-2021 के आंकड़े निकाले गए हैं। सीसीटीएनएस डेटा का इस्तेमाल साल 2022 व 2023 के लिए किया गया है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) सरकार ने हर समय राज्य में विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखा है और इसके लिए इसने पुलिस की रणनैतिक तैनाती की है, संकटग्रस्त की सूचना पर उन्हें त्वरित सहायता पहुँचाया है, साइबर थाना, स्पेशल टास्क फ़ोर्स एवं हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जैसे विशेष बल का गठन किया है, साइबर फॉरेंसिक एवं सीसीटीवी सहित उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया है, अतिरिक्त पुलिस बल की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित एवं सुसज्जित किया है, समाज-विरोधी तत्वों के ख़िलाफ़ विशेष अभियान चलाया है एवं अपराधियों के ख़िलाफ़ क़ानूनसम्मत सख़्त कार्रवाई की है ताकि उन जैसों को संदेश जाए कि राज्य में क़ानून की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी।